बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989** को पूर्वाह्न 10.58 बजे अध्यक्ष, **श्री शिवनंदन पासवान** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
दिनांक : 30 जनवरी 1989

विश्वनाथ त्रिवेदी
सचिव
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा (वादवृत्त)

सरकारी प्रतिवेदन।

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **सोमवार, तिथि 30 जनवरी, 1989** को पूर्वाह्न 10.58 बजे अध्यक्ष, **श्री शिवनंदन पासवान** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, श्री रघुनाथ झा जी और श्री गणेश प्रसाद यादव जी ने लिखित रूप में आपसे निवेदन किया था कि बिहार विधान-सभा के प्रतिपक्ष के नेता के पद से माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को असंवैधानिक ढंग से हटाया गया था । सर्वोच्च न्यायालय ने एक महीना के अंदर प्राप्त तथ्यों के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, तत्कालीन अध्यक्ष को दिया था। इस संबंध में इसपर पुनर्विचार कर और आपसे नियमन देने का आग्रह हमलोगों ने 27 तारीख को ही लिखकर किया था । हम यह चाहते हैं कि इसपर आप अपना नियमन दे दें ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आप इसपर अपना नियमन दीजिये । सुना है कि इसकी संचिका भी गायब हो गयी है ।

श्री जनार्दन यादव : एक तरफ तो आप मुख्यमंत्री के बारे में नियमन दे चुके हैं । विरोधी दल के नेता के बारे में भी आप नियमन दे दीजिये ।

श्री लालू प्रसाद : हमलोगों ने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आग्रह किये हैं कि तत्कालीन अध्यक्ष ने स्वर्गीय जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जिन्हें बहुमत प्राप्त था, राज्यपाल के सामने हमलोगों ने पैरेड करके भी इसे प्रमाणित कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में हमलोग आपसे आग्रह करते हैं कि इसपर आप नियमन दीजिये ।

दूसरी बात हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि इसी विधान-सभा के अंदर मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद जी ने घोषणा की थी कि हमलोगों की माँग पर, कि विधान-सभा परिसर में एक आदमकद मूर्त्ति जननायक स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी का लगायेंगे और उन्होंने यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय हमको जगह दे दें तो हम यह काम कर देंगे । आपको इसमें क्या कठिनाई है । हम आपसे आग्रह करेंगे कि दोनों बातों पर आप अविलंब अपना नियमन दे दीजिये ।

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, अखबार में छपा है कि कर्पूरी जी से संबंधित संचिका गायब हो गयी है । तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने उस संचिका को गायब किया है । एफ.आई. आर. लॉज करके श्री शिवचंद्र झा को जेल में बंद किया जाय ।

श्री रमेन्द्र कुमार : जल्दबाजी में आपने मुख्यमंत्री का तो नियमन दे दिया, सदन नेता के बारे में आपने नियमन दे दिया बिना हमलोगों की राय जाने, इस पर पुनर्विचार हो, मगर विरोधी

दल के नेता के बारे में जो नियमन दिया गया था, उस पर पुनर्विचार किया जाय और इसी सदन में इसकी घोषणा की जाय।

श्री अजीत सरकार : अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति हमलोगों के दिल में बहुत इज्जत है, बहुत विश्वास है, लेकिन जब हमलोग देखते हैं कि सदन नेता के बारे में तुरंत नियमन हो जाता है और विरोधी दल के नेता के साथ जितना अन्याय किया गया था, उसका नियमन पहले होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ और इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलान किया था कि अगर अध्यक्ष महोदय जमीन दे दें तो हम तुरंत कर्पूरी जी की आदमकद मूर्त्ति का शिलान्यास कर देंगे । हम चाहेंगे कि आपका इसपर नियमन हो जाय । कम-से-कम अभी तो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है । इसलिए आदमकद मूर्त्ति का उद्घाटन हो जाना चाहिए ।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नियमन की माँग की गयी है । इसके दो पार्ट हैं, जहाँ तक मूर्ति के संबंध में निर्णय करने की बात है, इसपर आपको नियमन नहीं देना है । आप उसपर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर तय करेंगे, वह सदन के लिए नियमन का विषय नहीं है । लेकिन जहाँ तक सदन के विरोधी दल के नेता का प्रश्न है, मैं चाहूँगा कि प्रक्रियानुसार नियम के मुताबिक जल्द से जल्द कार्य हो जाय । मैं समझता हूँ कि इसका उपाय होना चाहिए ।

श्री लालू प्रसाद : अंध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि अध्यक्ष जगह उपलब्ध करा दें ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने पिछले सत्र में कहा था जब यह प्रश्न उठाया गया था और मैं आज उसी प्रश्न पर हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्ष होने के रूप में अपने स्तर पर इस संबंध में जो निदेश देंगे उसका कार्यान्वयन मैं पूरी तरह करूँगा । मैं चाहता हूँ कि स्व. कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा विधान सभा परिसर में लगायी जाय ।

श्री नीतिश कुमार : जगह उपलब्ध कराना अध्यक्ष का काम नहीं है, सरकारी जमीन है, सरकार दे ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जगह उपलब्ध करा दी जायगी तो कर्पूरी जी की प्रतिमा लगायी जायगी । विधान सभा को प्रसन्नता होगी कि यदि कर्पूरी जी की प्रतिमा लगायी जाय तो विधान सभा उसके लिये जगह उपलब्ध करायेगी । मैं समझता हूँ कि पोर्टिको के सामने वाला जो मैदान है उसी में उनकी मूर्ति लगायी जायगी ।

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, कर्पूरी जी को जिस ढंग से नेता विरोधी दल के पद से हटाया गया, उस पर भी आपका नियमन आज ही होना चाहिए ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वाले अध्याय को जल्द से जल्द हटा दिया जाय । आपसे हमलोगों ने आग्रह किया । तमाम कानून भी कहता है, लोकतंत्र की मर्यादायें कहती हैं, परंपरायें कहती हैं और संविधान भी कहता है इसलिये संविधान सम्मत है, लोकसम्मत है, युक्तिसंगत है और सदनसम्मत है कि आप इसका फैसला करें । इसमें और विलंब नहीं करें और उस वाले अध्याय को समाप्त करें ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को हमने लिखकर दिया । इस संबंध में आपका कोई निर्णय नहीं हुआ । अखबारों में देखा कि कर्पूरी जी से संबंधित संचिका गायब है ।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि छाया संचिका तैयार करावें । लेकिन इसका निर्णय आज ही कर दीजिये । आपको मालूम होगा कि इसी सदन में समूचे विपक्ष के बारे में भर्त्सना का प्रस्ताव जल्दीबाजी में पास किया गया था । यह भी हुआ था कि उस भर्त्सना प्रस्ताव को सदन वापस ले लेगा । इस सदन की रक्षा के लिए आपसे आग्रह है कि उस भर्त्सना प्रस्ताव को समाप्त किया जाय और इस काम को आज ही कर दिया जाय ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि आज जमीन देंगे । मैं निवेदन करूँगा कि एक छोटी सी कमिटी अपने सभापतित्व में बना लें और उस कमिटी में विचार हो कि किस जगह में किस रूप में प्रतिमा स्थापित की जाय । मेरे विचार में यही अच्छा होगा ।

श्री लालू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ झा ने जैसा कहा कि भर्त्सना का प्रस्ताव सदन में विपक्ष के लिए पारित हुआ था और गत सत्र में उसे वापस करने का भी एजेन्डा में था । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह तय हो गया था । इस पर भी आप नियमन दे दीजिये ।

अध्यक्ष : स्व. श्री कर्पूरी ठाकुर को हटाने के संबंध में माननीय सदस्यों की भावना को मैंने देखा । मैं इस चलते सत्र में ही इस पर नियमन दे दूँगा ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें विलंब नहीं होना चाहिये । क्योंकि कहा गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूँ ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों का आपसे आग्रह है कि कर्पूरी जी के संबंध में आपका नियमन आज ही होना चाहिये । और संपूर्ण विपक्ष के विरुद्ध जो भर्त्सना का प्रस्ताव पारित किया गया था उसके संबंध में भी आज ही होना चाहिये । न जाने कल क्या होगा । मेरा आग्रह होगा कि नियमन आज ही आपके द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये और संपूर्ण विपक्ष के संबंध में जो भर्त्सना प्रस्ताव पारित हुआ था उसको समाप्त करने की घोषणा आज ही होनी चाहिये। कल क्या होगा, कल के भरोसे टाल कर मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा है। यह परंपरा के खिलाफ बात होगी ।

श्री रमेन्द्र कुमार : संविधान के आर्टिकल 180 (1) को देखा जाय ।

श्री लालू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से माननीय सदस्यों की राय है कि आज 4 या 5 बजे इस पर आप नियमन दे दें ।

अध्यक्ष : यह बात मुझ पर छोड़ दें । आपको पता है कि उसमें कुछ कठिनाई हो रही है लेकिन जितना जल्द हो सकेगा, उसपर मैं नियमन दे दूँगा ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पर आपको नियमन आज ही देना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं चाहता हूँ कि इसे अध्यक्ष पर छोड़ दें ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, आज नियमन देने में क्या हर्ज है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य, श्री रमेन्द्र कुमार जी नियमापत्ति पर खड़े हैं ।

श्री रमेन्द्र कुमार : मेरा कहना है कि संविधान के आर्टिकल 180 (1) को देखा जाय । इसके अंतर्गत विधान सभा अध्यक्ष का पद रिक्त है और उसमें कहा गया है कि जो उपाध्यक्ष होंगे वे अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे । ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सभा सचिवालय से जो कागजात मिले हैं उस कागजात में एक जगह कहा गया है जो सचिव के दस्तखत से है कि उपाध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा और दूसरी जगह कहा गया है कि अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सदन ने उपाध्यक्ष का चुनाव किया और आप उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये । आप उपाध्यक्ष का पद छोड़कर अध्यक्ष के पद पर बैठ गये हैं । ऐसी अवस्था में यह बतलाया जाय कि आपको हम अध्यक्ष कहकर पुकारें या उपाध्यक्ष कहकर पुकारें ? इस संबंध में आप अपनी व्यवस्था दें । मैंने संवैधानिक बात उठायी है ।

अध्यक्ष : वह मैं देख लूँगा ।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष का पद रिक्त है । ऐसी अवस्था में संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के मुताबिक उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे । इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष हो जायेंगे । अध्यक्ष का हमलोगों ने चुनाव नहीं किया है । इसलिए आपको हमलोग क्या कहकर पुकारें ? अध्यक्ष कहकर कि उपाध्यक्ष कहकर पुकारें ? इस संबंध में आप अपना नियमन दें ।

(शोरगुल)

श्री मो. मुश्ताक : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्व. कर्पूरी जी 1952 से लेकर मरने के दिन तक विधान सभा के सदस्य थे । विरोधी दल के पद से उन्हें हटाया गया । उनके साथ बेइंसाफी हुई है ।

अध्यक्ष : यह बात समाप्त हो गयी । आप कृपया बैठ जायें। अब शून्यकाल होगा ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिया जायेगा ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कार्य-स्थगन प्रस्ताव का क्या किये ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, श्री अजीत सरकार, श्री नलिनी रंजन सिंह, श्री रमई राम, श्री विनायक प्रसाद यादव, श्री रमेन्द्र कुमार, श्री मुंशीलाल राय तथा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्य-स्थगन की सूचना दी है । नियमानुसार इसे आज अमान्य करता हूँ ।

(शोरगुल)

शून्यकाल की चर्चाएँ

(क) सोन नहरी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना

श्री रघुपति गोप : अध्यक्ष महोदय, खरीफ मौसम में रेहंड जलाशय से सोन नहरों में पानी नहीं निकलने के कारण भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद जिले में धान की फसल मारी गयी । पटनी के अभाव में रब्बी की फसल भी सूख रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सोन नहरी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करे ।